



झारखण्ड सरकार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./94/18-43

राँची/दिनांक: 29/06/2019

NEET (UG)-2019 परीक्षाफल आधारित राज्य मेधा-सूची से एम.बी.बी.एस. (M.B.B.S.) बी.डी.एस. (B.D.S.) तथा आयुष स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (Ayush-UG Courses) में नामांकन के निमित्त प्रथम साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित सांकेतिक सूचना

पर्षद कार्यालय के विज्ञापन संख्या जे.सी.ई.सी.ई.बी. 94/18-39 दिनांक 24.06.2019 के आलोक में NEET (UG)-2019 में शामिल अर्हणित (Qualified) तथा पात्रक का राज्य के रूप में झारखण्ड भरने वाले उम्मीदवारों द्वारा दिनांक-26.06.2019 से चालू ऑन-लाईन आवेदन पत्र जमा करने का कार्य दिनांक-01.07.2019 तक जारी रहेगा। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पर्षद द्वारा तैयार की जाने वाली औपबंधिक(Provisional)राज्य मेधा-सूची,पर्षद के अधिकृत वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> में Home page पर दिनांक 02.07.2019 को जारी की जायेगी। उक्त औपबंधिक राज्य मेधा-सूची में शामिल किसी भी उम्मीदवार को नाम, कोटि, जन्म-तिथि, परसेंटाइल स्कोर इत्यादि प्रविष्टियों में कोई त्रुटि/गलती लगे तो उसके संशोधन के लिए दिनांक 03.07.2019 के अपराहन 4.00 बजे तक ई-मेल jceceb@gmail.com पर आवेदन भेज सकते हैं जिसके आधार पर पर्षद द्वारा संशोधनोपरान्त दिनांक 03.07.2019 को ही संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा-सूची जारी की जायेगी।

पर्षद द्वारा संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा-सूची के आधार पर एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. तथा आयुष स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिये दिनांक 05.07.2019 को प्रथम साक्षात्कार आयोजित की जायेगी जिससे संबंधित विस्तृत जानकारी/सूचना पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर दिनांक 02.07.2019 को भारित (upload) की जायेगी।

साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज मूल रूप (Original) में तथा उनकी एक-एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का आबंटन किया जाएगा।


(क) दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण-पत्र, (ख) इंटरमीडिएट साईंस/10+2/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण-पत्र (ग) NEET (UG)-2019 के आधार पर पर्षद द्वारा निर्गत संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा-सूची की अधःभारित (Download) प्रति (घ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)] या उपायुक्त [Deputy Commissioner] द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 - 3198, दिनांक 18.04.2016 के

आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं०-14/स्थानीयता नीति-14-03/2016 का०-4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, (ड़) झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-14/जा०नि०-03-13/2015/का०-1754 दिनांक-25.02.2019 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी (Circle Officer) या अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)] या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक-14/जा०नि०-03-13/2015/का०-1754 दिनांक-25.02.2019 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। (च) दिव्यांग अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्गत तथा चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण-पत्र (छ) पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त (घ) एवं (ङ) में वर्णित प्रमाण-पत्र/पत्रों, सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा वांछित अद्यतन प्रपत्र में निर्गत नहीं है तो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/पत्रों तथा नये विहित प्रपत्र में ऑनलाईन स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।

अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/उनके अभिभावक केवल पर्वद के अधिकृत वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के सम्पर्क में रहें।


(दिलीप कुमार झा, मा.प्र.से.)
परीक्षा नियंत्रक